भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-238
उत्तर देने की तारीख-05/02/2024

डी.एल.एड.धारक शिक्षकों को रोजगार

238. **श्री संजय जाधव:**
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और और क्या उक्त कानून को देश में लागू कर दिया गया है;
(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनओआईएस) को डी.एल.एड. (प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा) के लिए मान्यता दिए जाने के बावजूद भी इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इसके भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार ने एनआईओएस डी.एल.एड. धारकों को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए कोई विधेयक पारित किया है;
(ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद डी.एल.एड. धारक शिक्षकों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं;
(च) प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और कितने शिक्षकों को रोजगार दिया गया है; और
(छ) चयनित सभी शेष अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने/नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (छ): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रावधान है कि 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वह दिनांक 31.03.2019 तक ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा। तदनुसार, एनआरसी, एनसीटीई के दिनांक 22 सितंबर, 2017 आदेश के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए,एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति (एनआरसी) ने शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के स्वयं पोर्टल के माध्यम से डी.एल.एड (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को मान्यता प्रदान की। आदेश एनसीटीई और एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

एनआईओएस द्वारा संचालित 18 महीने (ओडीएल) पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2019 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 19842 में पारित दिनांक 21.01.2020 के निर्णय के अनुपालन के लिए एनआईओएस द्वारा नई नियुक्ति के लिए आयोजित 18 महीने के डीएलएड (ओडीएल) पर विचार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजा था। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 23583-84 में जारी दिनांक 28.11.2023 के निर्णय के माध्यम से व्यवस्था दी है कि 18 महीने का डी.एल.एड (ओडीएल) नियमित 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के समतुल्य नहीं है।

*****

अनुलग्नक

"डी.ई.एल.एड. धारक शिक्षकों के रोजगार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संजय जाधव और अन्य लोगों द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 238 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

डी.एल.एड अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**कुल नामांकित**	**कुल उत्तीर्ण**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	81	71
आंध्र प्रदेश	4192	3895
अरुणाचल प्रदेश	3658	3489
असम	104803	101765
बिहार	261558	251706
चंडीगढ़	282	270
छत्तीसगढ	49798	48007
दादरा और नगर हवेली	257	241
दमन और दीव	106	93
दिल्ली	326	298
गोवा	708	675
गुजरात	7846	7471
हरियाणा	2629	2427
हिमाचल प्रदेश	6021	5871
जम्मू और कश्मीर	2394	1955
झारखंड	63539	61278
कर्नाटक	2649	2510
केरल	532	514
मध्य प्रदेश	150948	140886
महाराष्ट्र	5005	4489
मणिपुर	22428	22033
मेघालय	23701	22339
मिजोरम	5580	5162
नागालैंड	4288	3970
ओडिशा	50315	47911
पुदुचेरी	174	160
पंजाब	7555	7127
राजस्थान	33900	32823
सिक्किम	3424	3076
तमिलनाडु	21218	19931
तेलंगाना	13901	12921
त्रिपुरा	7600	7266
उत्तर प्रदेश	154082	146544
उत्तराखंड	29925	28856
पश्चिम बंगाल	157407	153336
कुल	**1202830**	**1151366**

*****